



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-29012026-269656  
CG-WB-E-29012026-269656

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 386]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 414(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989, (रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित) की धारा 2 के खण्ड (7 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4)- में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य-निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तालिका के ही कॉलम (3)- में वर्णित राज्य में कार्य-निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

## तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पाकुड़	झारखण्ड	झारखण्ड के पाकुड़ जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए, विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "सांइंथिया-पाकुड़ के बीच चौथी लाइन"।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./ 323]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

## NOTIFICATION

Kolkata, the 27th January, 2026

**S.O. 414(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act,1989,(as amended vide the Railways (Amendment) Act,2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## TABLE

Serial Number (1)	Competent Authority (2)	State (3)	Name of Railway Project. (4)
1.	District Land Acquisition Officer Pakur	Jharkahnd	“4 <sup>th</sup> line between Sainthia-Pakur” as <b>Special Railway Project</b> for acquisition of land in the Pakur District of Jharkhand.

[F. No. CAO/Con/L/323]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.